

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 43/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1-आसुराम पिता छोगा गुर्जर नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1-बदामी देवी पत्नि भैरूलाल खाती नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-चान्दी देवी पत्नि अम्बालाल खाती नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-मीठु देवी पत्नि रोशनलाल खाती नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-सीतादेवी पत्नि मीठालाल खाती नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-मांगी पत्नि सोहनलाल खाती नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-उदयराम पिता सवाईराम जाट नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-नारायणलाल पिता सवाई राम जाट नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-उदा पिता सोहन जाट नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-रतन पिता चम्पा जाट नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-बद्री पिता चम्पा जाट नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-मेहताबी बेवा अमरा गाडरी नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-हीरा पिता अमरा गुर्जर नि० गल्यावडी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. एम एस चुण्डावत

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 29.06.2017


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेमाणा मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 320 रकबा 0.40 हे०, 321 रकबा 0.35 हे०, 323 रकबा 1.41 हे० कुल कित्ता 03 कुल रकबा 2.16 हे० भूमि खाता संख्या 414 पर स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुशतकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 उक्त आराजियात के चारो तरफ के पड़ौसी होने से उन्हे पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर

बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 14.03.2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.03.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः


आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 320 रकबा 0.40 हे०, 321 रकबा 0.35 हे०, 323 रकबा 1.41 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 2.16 हे० भूमि खाता संख्या 414 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावे।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा